Govt. Doon Medical College, Dehradun
Office of the Principal
Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021 , Email id: doonmedicalcollege@gmail.com
Website- www.gdmcuk.com Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001

पत्रांकः–रा0दू0मे0का0 / यू0जी0 अनुभाग / प्रवेश / का0आ0 / 2022 / 05 दिनांकः 01 जनवरी, 2022

–: कार्यालय आदेश :–

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में नीट यू0जी0–2021 के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2021–22 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के लिए शासनादेश संख्या–1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 दिनांकः 11 दिसम्बर, 2021 **(संलग्नक)** एवं शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013**(संलग्नक)** में विहित शेष शर्ते को यथावत् रखते हुए नॉन बॉन्डेड छात्र–छात्राओं हेतु निम्नानुसार शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

नॉन बॉन्डेड (NON BONDED):

क्रम संख्या	शुल्क का नाम	प्रस्तावित शुल्क रू0 में
1	शिक्षण शुल्क	**1,45,000/-** (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
2	छात्रावास शुल्क	**6,000/-** (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
3	कीड़ा शुल्क	**5,000/-** (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
4	विकास शुल्क	**5,000/-** (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
5	धरोहर शुल्क	**10,000/-** (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
6	प्रवेश शुल्क	**500/-** (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
	कुल योग	**1,71, 500/-** (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
Prospectus & Admission Form Rs. 1000/-cash to be Deposited at the time of admission.		

- नीट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा नियमानुसार कॉलेज छोडे जाने की दशा में हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय/चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि सम्बन्धित छात्र–छात्रा के खाते में वापस की जायेगी।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का ड्रॉफ्ट **प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।
- एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा समय–समय पर प्रोफेशनल परीक्षाएँ आयोजित करायी जाती है एवं प्रोफेशनल परीक्षा हेतु अतिरिक्त परीक्षा शुल्क छात्रो को देना होता है।
- कॉलेज छात्रावास (पुरूष/महिला) में मैस की व्यवस्था है जिस हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित मैस शुल्क देना होगा। कॉलेज छात्रावास (पुरूष/महिला) मे रहने वाले सभी छात्र–छात्राओ को वार्षिक छात्रावास शुल्क के साथ वार्षिक मैस शुल्क देना भी अनिवार्य है। वर्ष के अन्त में मैस बिल का समायोजन मैस कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

प्राचार्य,
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहरादून।

पत्रांकः–रा0दू0मे0का0 / यू0जी0 अनुभाग / प्रवेश / का0आ0 / 2021 / .... तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
3. कुलसचिव, एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. परीक्षा नियंत्रक, एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
6. प्रभारी प्रवेश प्रक्रिया, नीट यू0जी0–2021, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
7. प्रभारी, यू0जी0 अनुभाग, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।

Govt. Doon Medical College, Dehradun
Office of the Principal
Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021 , Email id: doonmedicalcollege@gmail.com
Website- www.gdmcuk.com Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001

8. प्रशासनिक अधिकारी।
9. लेखा अनुभाग।
10. कॉलेज नोटिस बोर्ड।
11. गार्ड फाइल।

प्राचार्य,
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज,
देहरादून।

संख्या– 1076 /XXVIII(5)/2021-77/2013

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

18531
11/12/2021

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के क्रियान्वयन तथा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले नॉन बॉण्डेड एम0बी0बी0एस0 छात्रों हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क ₹ 04.00 लाख निर्धारित किया गया है, को शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉण्डेड छात्र–छात्राओं हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क को कम करते हुए ₹ 1.45 लाख (₹ एक लाख पैंतालिस हजार मात्र) वार्षिक तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्तानुसार निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात नव प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से देय वार्षिक शिक्षण शुल्क उक्तानुसार संशोधित दरों पर ही लिया जायेगा।

4– शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–227(म0)/XVII(3)/2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

क्रमशः–2–

D:\computer data till 2020\Medical education\2020-21\Draft\Establishment Draft 2021 01.doc

संख्या– /XXVIII(5)/2021-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
5– गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
8– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
9– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

D:\computer data till 2020\Medical education\2020-21\Draft\Establishment Draft 2021 01.doc

संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

2. प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून,उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांक 23 मई, 2013

चिकित्सा अनुभाग–1

विषयः– राजकीय मेडिकल कालेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी नवीन बॉण्ड के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड मुख्यतः पर्वतीय राज्य है
जिसका अधिकांश भाग दुर्गम/अति दुर्गम है। इस भौगोलिक विषमता के कारण राज्य के दुर्गम/अति
दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रो मे चिकित्सा सुविधाऐं सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी सुदृढ नही हो पायी
है तथा चिकित्सकों की कमी एक गम्भीर समस्या के रूप मे विद्यमान है। इसी परिप्रेक्ष्य मे सम्यक
विचारोपरांत शासनादेश संख्या–943/XXVIII(1)/2008-19/2005-T.C-IV, दिनांक 23.7.2008 तथा
शासनादेश संख्या–2735/दस–2005–8(9)/2004, दिनांक 23.7.2008 द्वारा निर्धारित अनिवार्य राजकीय
सेवा सम्बन्धी पूर्व बॉण्ड को संशोधित कर उसके स्थान पर नवीन बॉण्ड की प्रति संलग्न कर प्रेषित
करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि –

1. राजकीय मेडिकल कॉलेज मे अनिवार्य राजकीय सेवा सम्बन्धी यह नवीन बॉण्ड वैकल्पिक है
जिसमे अनिवार्य राजकीय सेवा का बॉण्ड हस्ताक्षरित करने वाले एम0बी0बी0एस0 छात्र रूपये 40,000.00
मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रूपये चालीस हजार मात्र वार्षिक) तथा बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले
एम0बी0बी0एस0 छात्र रूपये 4,000,00.00 मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रूपये चार लाख मात्र वार्षिक)
देंगे, इसी प्रकार परास्नातक पाठ्यक्रम एम0डी0/एम0एस0 के बॉण्ड हस्ताक्षरित करने वाले छात्र
60,000.00 रूपये मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रूपये साठ हजार मात्र वार्षिक) तथा बॉण्ड हस्ताक्षरित न
करने वाले छात्र रूपये 5,00,000.00 मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रूपये पांच लाख मात्र वार्षिक) देंगे।

2. राजकीय मेडिकल कालेजों मे अनिवार्य राजकीय सेवा से सबंधी संशोधित नवीन बॉण्ड मे
विहित प्राविधान वर्ष 2013 में प्रवेशित बैच के छात्र–छात्राओं से लागू होंगे।

3. अनिवार्य राजकीय सेवा से सबन्धित पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या–943/XXVIII(1)/2008-
19/2005-TC-IV दिनांक 23.07.2008 तथा शासनादेश संख्या–2735/दस–2005–8(9)/2004, दिनांक
23.07.2008 मे विहित अनिवार्य राजकीय सेवा सबंधी प्राविधान वर्ष 2012 तक प्रवेशित बैच के सदस्य मे
यथावत लागू होंगे।

4. एन0आर0आई0(NRI) सीटो की व्यवस्था समाप्त होने के कारण अब दिनांक 1.04.2013 से
उक्त संबंध मे पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या–943/XXVIII(1)/2008–19/2005–TC-IV दिनांक 23.07.
2008 तथा शासनादेश संख्या–2735/दस–2005 8(9)/2004, दिनांक 23.07.2008 में विहित प्राविधानों
को अनिवार्य राजकीय सेवा से सबंधी संशोधित नवीन बॉण्ड के प्रावधानों के आलोक मे नहीं पढ़ा
जायेगा।

5. राजकीय मेडिकल कॉलेजो मे अनिवार्य राजकीय सेवा सबंधी नवीन संशोधित बॉण्ड को
प्रवेशित छात्र–छात्राओं से भराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्राचार्य का होगा

और इस संबंध मे संबंधित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि बॉण्ड भराते समय संबंधित मेडिकल कॉलेज यह सुनिश्चित करेंगे कि बॉण्ड में प्रतिभू (Sureties) व उनके गवाहों (Witnesses) के हस्ताक्षर लिये जाते समय उनके पहचान पत्रों (फोटो पहचान पत्र तथा पते का पहचान पत्र) की राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित छायाप्रतियां अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के साथ सलग्न कर ली जाये। साथ ही प्रतिभू (Sureties) की इस आशय की घोषणा कि उनके पास अमुक अचल सम्पत्ति है, का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां भी अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के साथ संलग्न कर ली जाये।

6. अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन बॉण्ड के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित मेडिकल कालेज के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा हेतु चिकित्सा शिक्षा के इन्फारमेशन बुलेटिन में अनिवार्य रूप से उक्त बॉण्ड में विहित सूचना को उल्लिखित करते हुए तदनुसार वेबसाइट के लिंक को भी अंकित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त जनसामान्य में प्रचार--प्रसार हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन संशोधित बॉण्ड से संबंधित शासनादेश तथा बॉण्ड प्रपत्र को एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, विभागीय वेबसाइट तथा समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रमुख लिंक के रूप में अपलोड करते हुए दर्शायेंगे, जिससे कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों तथा प्रतिभूओं को बॉण्ड में विहित आवश्यक सूचनाओं का संज्ञान हो सके और तदनुसार वे काउन्सिलिंग से पूर्व ही काउन्सिलिंग में अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों के संबंध मे तैयारी कर काउन्सिलिंग में सम्यक रूप से सम्मिलित हो सके।

7. उक्त बॉण्ड की अनुपालना का उत्तरदायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय तथा संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का होगा।

8. उक्त संबंध मे कृत कार्यवाही से तत्काल तथा भविष्य मे समय–समय पर शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

निरी 26/6/19

संख्या– 837 /XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015

प्रेषक

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 26 जून, 2019

विषयः चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र को लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों में रियायती शिक्षण शुल्क के एवज में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य है। बॉण्डधारी चिकित्सकों को बॉण्ड की शर्तों के क्रम में राज्य के पर्वतीय, दुर्गम–दुरस्थ क्षेत्रों में संविदा पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति दी जाती है। वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के कुल 2735 सृजित पदों के सापेक्ष 2056 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। अतः इस प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट होने वाले चिकित्सकों से उक्त सभी रिक्त पद भर जायेंगे।

2– राजकीय मेडिकल कॉलेजों से राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजिडेन्सी पर तब तक नहीं रखा जाता है, जब तक कि उनके द्वारा अनुबन्ध पत्र के अनुसार सेवायें दुर्गम–दुरस्थ क्षेत्रों में पूर्ण न की हों। जिस कारण राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर/जूनियर रेजीडेन्टो की भारी कँमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड/अनुबन्ध पत्र पर नॉन क्लीनिकल विषयों में पी0जी0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं है।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

i– राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून और हल्द्वानी में बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

ii– वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल तथा सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में छात्रों के लिए बॉण्ड की सुविधा ऐच्छिक आधार पर अनुमन्य होगी।

E:\Yashwant Sir\Draft 2019.doc

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

iii– सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए बॉण्ड अनुमन्य नहीं होगा अर्थात वे पूर्ण शुल्क पर ही पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे।

iv– राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम वर्ष जूनियर रेजीडेन्ट, दूसरे व तीसरे वर्ष की सेवायें राज्य के दुर्गम–दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, अंतिम दो वर्षों की सेवायें राज्य के जिला चिकित्सालयों / पर्वतीय / सुगम क्षेत्रों में देंगे।

v– नॉन क्लीनिकल विषयों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में चयनित छात्रों हेतु बॉण्ड की अनुमन्यता नहीं होगी, क्योंकि प्रांतीय चिकित्सा सेवा में राज्य के सुदूरवर्ती स्थानों पर अवस्थित चिकित्सालयों में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद नहीं हैं।

vi– राजकीय मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण परा–स्नातक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी करने की अनुमति होगी एवं इस अवधि को बॉण्ड की शर्तों में उल्लिखित अवधि में सम्मिलित माना जायेगा। शेष दूसरे वर्ष की सेवायें राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में देंगे।

vii– बॉण्ड की धनराशि समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4– कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या–837/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
6– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner